न्यायालय : दिव्या श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, इंदौर, (म.प्र.)

समक्ष : सुश्री दिव्या श्रीवास्तव

आपराधिक प्रकरण क्रमांक–173 / 2020
फाईलिंग नंबर–557 / 2020
सी.एन.आर.नंबर–एमपी–0907 / 000584 / 2020
संस्थित दिनांक–26.08.2020

(प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री इसराम गाडरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	प्रवीण कुमार उर्फ पप्पु पिता समरथमल, आयु–40 वर्ष, निवासी–हाट मैदान ढोंढर थाना गिरनोद, जिला रतलाम (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री दिलीप वर्मा अधिवक्ता

अपराध की तिथि	03.03.2020
प्र.सू.रि. की तिथि	03.03.2020
आरोप पत्र की तिथि	26.08.2020
आरोपो के विरचना की तिथि	22.08.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	19.12.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	30.08.2025
निर्णय की तिथि	30.08.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

Sd/-
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

शासन विरूद्ध प्रवीण

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	[illegible] दं.प्र.सं. [illegible] प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	प्रवीण कुमार	03.03.2020	03.03.2020	279, 338 भा.द.सं.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायलयीन साक्षियो की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
(अ.सा.1)	देवनारायण	फरियादी साक्षी
(अ.सा.2)	बंशीलाल पंवार	चक्षुदर्शी साक्षी
(अ.सा.3)	विकास परमार	आहत साक्षी
(अ.सा.4)	विष्णु प्रसाद मण्डलोई	अनुसंधानकर्ता साक्षी
(अ.सा.5)	कययुम खान	जप्ती, गिरफतारी साक्षी
(अ.सा.6)	डॉ नवीन चद्रवंशी	चिकित्सकीय साक्षी

ख – बचाव साक्षियों की सूची :– निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षियों की सूची :– निरंक

Sanjiv
30.08.'25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायलयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन :—

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.–1 / अ.सा.–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.–2 / अ.सा.–1	नक्शा मौका पंचनामा
3	प्रदर्श पी.–3 / अ.सा.–4	सूचना पत्र
4	प्रदर्श पी.–4 / अ.सा.–4	जप्ती पंचनामा
5	प्रदर्श पी.–5 / अ.सा.–4	गिरफतारी पंचनामा
6	प्रदर्श पी.–6 / अ.सा.–6	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट

ख. अभियुक्त :—

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	---	---

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :—

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.सी–1	आहत विकास की एक्स–रे रिपोर्ट

घ. आवश्यक वस्तुएं :—

स.क्रं.	भौतिक सामग्री सख्या	विवरण
1	---	---

पुलिस थाना गौतमपुरा के अपराध कमांक 43 / 2020 अन्तर्गत धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता 1860 से उदभूत प्रकरण।

Sandiv
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

निर्णय
(आज दिनांक 30.08.2025 को घोषित)

01. अभियुक्त प्रवीण उर्फ पप्पू के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतस्मिन् पश्चात भा.द.सं.) की धारा 279 एवं 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 03.03.2020 को 11:00 बजे या उसके लगभग गौतमपुरा में जो कि थाना गौतमपुरा से 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रक कमांक एम.पी.09 जी.एच.5488 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत विकास को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से आहत विकास की एक्स–रे रिपोर्ट प्र. सी–1. को स्वीकार किया गया है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी देवनारायण ने थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम भील बडौली में रहता है एवं मजदूरी करता है। घटना दिनांक को वह व उसका भतीजा (साले का लड़का) विकास पिता भेरूलाल, किराना सामन खरीदने आये थे, दिन के करीब 11:00 बजे वे पाटीदार कॉम्पलेक्स के सामने खडे थे तभी इंगोरिया तरफ से आयसर गाडी कमांक एम.पी.09 जीएच 5488 का चालक, वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और विकास को टक्कर मार दी, टक्कर लगने से विकास रोड पर गिर गया। आयसर वाला देपालपुर तरफ वाहन लेकर चला गया, विकास को उसने व योगेश ने संभाला तथा मोटरसायकल पर बैठाकर ईलाज के लिए गौतमपुरा अस्पताल लाये, जहां ईलाज चल रहा है, विकास को दाहिने पैर पर व शरीर में चोट लगी है। घटना आसपास वालों ने देखी है।

04. फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध कमांक 42/2020 पंजीबद्ध किया गया। फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शामौका तैयार कर साक्षीगण के कथन अभिलिखित किये गये। अभियुक्त से प्रकरण से संबंधित वाहन जप्त किया गया। जप्तशुदा वाहन का परीक्षण कराया गया। वाहन स्वामी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का सूचनापत्र दिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Sandiv
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इन्दौर (म.प्र.)

05. विचारण के दौरान अभियुक्त को धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत उक्त आरोप में आरोप पत्र विरचित किया गया अभियुक्त द्वारा अपराध कारित ना किया जाना व्यक्त किया गया एवं विचारण चाहा गया। अभियुक्त के परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में अभियुक्त द्वारा निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया।

06. **प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु न्यायालय के समक्ष विद्यमान है–**

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.03.2020 को 11:00 बजे या उसके लगभग गौतमपुरा में जो कि थाना गौतमपुरा से 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रक कमांक एम.पी.09 जी.एच.5488 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया ?

02. उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत विकास को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की ?

03. दोषसिद्धी एव दण्डादेश यदि कोई हो ?

– : सकारण निष्कर्ष :–

07. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विचारणीय प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है, जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा देचनारायण, बंशीलाल पंवार, विकास परमार, विष्णु प्रसाद मण्डलोई, कय्युम खार्न, डॉ. नवीन चंद्रवंशी के कथन कराये है।

:: विचारणीय बिंदु क.1 एवं 2 का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ::

08. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के तथ्य अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति का निवारण करने हेतु तथा सभी विचारणीय बिंदु का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा आहत विकास की एक्स–रे रिपोर्ट प्र.सी–1 स्वीकार किया गया है एवं उक्त स्वीकारोक्ति के पूर्व अभियुक्त को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त मेडिकल रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के बाद उसके विरूद्ध पढा जायेगा। इस संबंध में विधिक परिस्थिति को भी बता दिया गया था, जो कि

Sd/-
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

इस प्रकार है कि "Defence admitted the genuineness of the injury report and the post mortem examination reports before the trial court. The genuineness and authenticity of the documents stands proved and shall be treated as valid evidence under Section 294 of the CrPC. It is settled position of law that if the genuineness of any doument filed by a party is not disputed by the opposite party it can be read as substantive evidence under sub-secton(3) of Section 294 Crpc. Accordingly, the post mortem report, if its genuineness is not disputed by the opposite party, the said post-mortem report can be read as substantive evidence to prove the correctness of its contents without the doctor concerned being examined. **2009 AIR SCW 3831=AIR 2009 SC (Supp) 1676 (Akhtar v. State of Uttarachal). Contra** 1980 JLJ 5015. 294(3) covers the P.M. report and every other document of which genuineness is not disputed and all such documents can be read in evidence without the formal proof of such documents by examining the author thereof. **2003 Cr. L.J. 1031 (FB) (Karnataka) (Boraiah alias Shekar, Appellants v. State)''**

09. अभियोजन साक्षी डॉ. नवीन चंद्रवंशी(असा–6) द्वारा यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 03.03.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देपालपुर में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा के आरक्षक आहत को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उनके समक्ष लेकर आये जिसमें उनके द्वारा आहत की सीधे पैर के एंकल पर सूजन पाई थी जिस पर हाथ लगाने से उसे दर्द हो रहा था। साक्षी द्वारा उसने यह कथन किया गया कि उनके द्वारा आहत को ऑर्थोपेडिकल ऑपिनियन एवं एक्स–रे हेतु एम.वाय.एच.अस्पताल इन्दौर रैफर किया था जिसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रपी–6 है। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आहत को आई चोट गिरने पड़ने से आ सकती है। यद्यपि साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आहत को गिरने से चोट आने की संभावना है परंतु संभावना मात्र संभावना है जिसे साक्ष्य का स्थान नहीं दिया जा सकता। अभियुक्त की ओर से आहत को यह सुझाव नहीं दिया है कि चोट स्वयं के गिरने से आई है। अतः साक्षी की स्वीकारोक्ति से अभियुक्त को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा आहत विकास की एक्स–रे रिपोर्ट प्र.सी–1 को धारा 294 दप्रसं. के अधीन स्वीकार किया गया

Sd/-
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

है। इस प्रकार उक्त एक्स–रे रिपोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है। ऐसी दशा में अभिलेख पर आहत विकास (असा–3) के साथ सडक दुर्घटना के संबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। उक्त दुर्घटना कारित होने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य की एक–दूसरे के कथन का समर्थन करते है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी दुर्घटना कारित होने के संबंध में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य का कोई खंडन नही किया है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत विकास के साथ सड़क दुर्घटना कारित हुयी व सडक दुर्घटना में वाहन से टक्कर लगने से उसे उपहति कारित हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या घटना दिनांक को आहत विकास को कारित उपहति अभियुक्त द्वारा आयशर ट्रक कमांक एम.पी. 09 जीएच 5488 को लोकस्थान पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाने के परिणामस्वरूप कारित हुई ?

11. आहत विकास (अ.सा.–3) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त को पहचानता है, उसने घटना के समय अभियुक्त को देखा था। साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य द्वारा उससे पूछे जाने पर कि क्या न्यायालय में उसे अभियुक्त दिख रहा है, इस पर साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि न्यायालय में अभियुक्त अनुपस्थित है जबकि न्यायालय में खडे व्यक्ति से उसका नाम पूछे जाने पर अपना नाम प्रवीण कुमार होना एवं हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त होना बताया है। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना दो–तीन वर्ष पूर्व की होकर वर्ष 2021 की होकर पाटीदार कॉम्प्लेक्स, देपालपुर–इन्दौर रोड, गौतमपुरा की है। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना दिनांक को वह अपने फूफा देवनारायण (अ.सा.–1) के साथ किराने का सामान लेने गया था। वह किराने का सामान लेकर जा रहे थे एवं जैसे ही पाटीदार कॉम्पलेक्स के पास पहुंचे तब इन्दौर साईड से आयशर आई और उसे पीछे से टक्कर मार दी। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि आयशर चालक अपने वाहन को तेज गति से चला रहा था व टक्कर लगने से उसे सीधे पैर में चोट लगी थी जिससे उसका पैर फेक्चर हो गया था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसे गाडी का नंबर घटना के समय याद था, आज दिनांक को भूल गया है। पूर्व कथन से विसंगत होने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दिनांक 03.03.2020 को चवल तरफ से एक आयशर कमांक एम.पी.09 जीएच 5488 के चालक अपनी गाडी को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और

Sandiv
30.08.25

(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

उसे टक्कर मार दी।

12. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि चंबल की तरफ से आ रहे वाहन से उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई थी। साक्षी द्वारा यह अभिकथन किय गया कि इंगोरिया चंबल की ओर से उसने कोई वाहन आते नही देखा था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि वह गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी द्वारा इस बात से इन्कार किया कि घटना दिनांक को वह अपनी मोटरसायकल से जा रहा था। उसके द्वारा स्वयं यह कथन किया गया कि वह पैदल जा रहा था।

13. फरियादी देवनारायण (असा–1) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त पप्पू को नही पहचानता है, सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता एवं आहत विकास उसका भतीजा है। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना लगभग 4–5 वर्ष पूर्व की होकर चंबल नदी के पास की है, उक्त दिनांक को वह अपने भतीजे आहत विकास (असा–3) के साथ भील बडोली से गौतमपुरा बाजारा किराने का सामान लेने पैदल–पैदल जा रहा था एवं जैसे ही वह चंबल नाके पहुचे तभी एक आयशर वाहन आया और उसके भतीजे को कट मारी, यह टक्कर मारी जिससे उसके भतीजे को पैर में चोट आई थी। साक्षी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि उसे याद नहीं है कि वाहन चालक ने आयशर वाहन को कैसे चला रहा था, उसके द्वारा स्वयं यह कथन किया गया कि तेज गति से चला रहा था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसने आयशर वाहन का नंबर नहीं देखा था, उसके द्वारा आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा में घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–1 की थी व पुलिस को घटनास्थल बता दिया था जिसका नक्शामौका प्रपी–2 है। पूर्व कथन से विसंगत होने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह पाटीदार कॉम्पलेक्स के सामने खडे थे तभी इंगोरिया तरफ से एक आयशर कमांक एम.पी.09 जीएच 5488 का चालक अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे टक्कर मार दी।

14. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उत्तर की ओर से जो रोड जाता है वह चंबल को है। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि चंबल तरफ से वाहन आ रहा था। उसके द्वारा यह कथन किया गया कि उसने वाहन को आते हुये नहीं देखा था, जब पास में आया तब उसने घटना में प्रयुक्त वाहन को देखा था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि

Sandiv
30.08.25

([illegible] श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

आहत विकास को वाहन से टक्कर कैसे लगी, वह यह नहीं देख पाया था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया कि प्रपी-2 पर उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे।

15. अभियोजन साक्षी वंशीलाल पंवार (असा-2) द्वारा समान कथन करते हुये यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त प्रवीण उर्फ पप्पू को नहीं पहचानता, सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। तदउपरांत साक्षी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि उसने वाहन चालक को देखा था एवं सामने आने पर पहचान सकता है तथा उक्त वाहन चालक अभियुक्त प्रवीण उर्फ पप्पू था। घटना दिनांक को वह पाटीदार कॉम्पलेक्स के सामने खड़ा था। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि आयसर वाहन का चालक उक्त वाहन को तेज गति से चलाकर लाया था व उसने आयसर वाहन का नंबर देखा था परंतु उस वाहन का नंबर याद नहीं है। पूर्व कथन से विसंगत होने पर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने पुलिस को आयशर वाहन क्रमांक एम.पी.09 जीएच 5488 बताया था। अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि चंबल रोड भीड़भाड़ एवं आवक-जावक वाला रास्ता है। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राजा राठौर के सामने विकास व उसके साथी दोनों बैठे थे जो पाटीदार कॉम्पलेक्स के सामने है। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पाटीदार कॉम्पलेक्स के सामने विकास और उसके साथी नहीं खड़े थे। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने घटना में प्रयुक्त वाहन को आते हुये नहीं देखा था। टक्कर लगने पर उसने उक्त वाहन को देखा था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि आहत को टक्कर कैसे लगी, वह देख नहीं पाया था एवं वह घटना में प्रयुक्त वाहन का नंबर नहीं बता सकता है। अन्य सभी सुझाव से साक्षी ने इन्कार किया है।

16. साक्षी कययूम खान (असा-5) द्वारा यह अभिसाक्ष्य दी है कि वह अभियुक्त प्रवीण को जानता है, वह ड्रायवर था। उसने अभियुक्त को वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी एच 5488 दी थी। उसे याद नहीं है कि प्रवीण किस दिनांक, समय पर अपना वाहन आयसर दिया था। पुलिस ने उसे सूचना पत्र दिया था। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त प्रपी-3 के सूचना पत्र पर क्या उल्लेखित है। उसने प्रपी-3 का दस्तावेज पढ़ा नहीं था, पुलिस ने उसके प्रपी-3 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसे जानकारी नहीं है कि प्रपी-3 का दस्तावेज क्या है। प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

Sanjiv
30.08.25

(...श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
...तपुर जिला इन्दौर

17. अभियोजन साक्षी विष्णु प्रसाद मण्डलोई (असा–4) द्वारा अभिसाक्ष्य दी है कि वह दिनांक 03.10.2020 को थाना गौतमपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षी केन्द्र गौतमपुरा के अपराध क्रमांक 43/20 अंतर्गत धारा 279, 337 भादसं. की केस डायरी उसे जांच हेतु प्राप्त हुई थी। जाच में उसके द्वारा फरियादी देवनारायण, बंशीलाल, कयूम, नसरूद्दीन, योगेश, विकास के कथन लेखबद्ध किये थे। वाहन स्वामी कयूम को धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का सूचना पत्र दिया था, जिसके अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि घटना दिनांक को आयसर वाहन कमांक एम.पी.09 जीएच 5488 को प्रवीण कुमार उर्फ पप्पू पिता समरथ चला रहा था, जो प्रपी–3 है। उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी–2 का तैयार किया था। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–4 एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–5 बनाया था। आहत को अस्थिभंग होने से धारा 338 भादवि. का ईजाफा किया गया। मेडिकल संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण में सलग्न किये।

18. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उक्त दिनांक को ही उसे अनुसंधान के लिये डायरी प्राप्त हुई थी। उसने अनुसंधान के दौरान प्रथम कार्यवाही के रूप में नक्शामौका बनाया था। नक्शामौका बनाने के लिये उसने फरियादी को थाने पर आहूत किया था, उसके बाद उसने मौके पर जाकर नक्शामौका बनाया था। साक्षी द्वारा यह अस्वीकार किया गया कि उसने फरियादी को नक्शामौका बनाने के लिये थाने पर किया था, उसी समय उसने उक्त नक्शामौका प्रपी–2 थाने पर बनाया था। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया कि नक्शामौका प्रपी–2 में उसने नामों का उल्लेख किया है, लेकिन उसने इनका प्रकरण में कोई कथन नहीं लिये हैं। यह भी स्वीकार किया कि फरियादी के अलावा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया कि नक्शामौका बनाने के लिये उसने मौके पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त को थाने पर बुलाकर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रपी–4 बनाया था। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया कि उसने आरोपी को थाने पर बुलाकर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–5 बनाया था जिस पर स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर उसने थाने पर करवाये थे। उसने संपूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर किये जाने इन्कार किया।

19. उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से आहत विकास (असा–3) द्वारा

Sandiv
30.08.25

(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

अपनी साक्ष्य में एक ओर अभियुक्त को पहचानने के कथन किये हैं वहीं दूसरी ओर न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त का साक्षी द्वारा नही पहचाना गया है। साक्षी बंशीलाल(असा–2) प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है, उक्त साक्षी द्वारा भी विरोधाभासी रूप से अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया। उक्त साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में पुनः यह कथन किया है कि उसने घटना में प्रयुक्त वाहन चालक को देखा था एवं वह उसको पहचानता है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि घटना का वाहन चालक अभियुक्त प्रवीण उर्फ पप्पू था परंतु साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसने आयसर वाहन को आते हुये नहीं देखा था, टक्कर लगने पर उसने देखा था, ऐसी दशा में साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य विरोधाभासी होना दर्शित है। साक्षी देवनारायण (असा–1) द्वारा अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया है। ऐसी दशा में समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त की पहचान संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सकी है। यद्यपि सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर घटना में प्रयुक्त वाहन का नंबर बताया है परंतु उनकी साक्ष्य से दर्शित है कि सभी साक्षीगण द्वारा यांत्रिक रूप से अभियोजन द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार किया गया है।

20. धारा 279, 338 भा.दं.सं. को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया गया हो जिससे मानव जीवन संकटापन्न हुआ हो एवं किसी अन्य व्यक्ति को उपहति कारित हुई हो, परंतु हस्तगत प्रकरण मे अभियोजन साक्षीगण द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रकट नही किये गये है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से अपने वाहन को चलाया जा रहा था। अभियोजन साक्षीगण द्वारा मात्र यह कथन किया गया है कि आहत विकास एवं देवनारायण पैदल–पैदल जा रहे थे तभी अभियुक्त द्वारा तेजी से अपने वाहन को चलाकर आहत विकास को टक्कर मार दी थी जिससे उसे उपहति कारित हुई। मात्र तेजी से वाहन चलाये जाने से यह स्पष्ट नही होता है कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जा रहा था।

21. इसके अतिरिक्त साक्षी कयूम (असा–5) द्वारा प्रपी–3 के सूचना पत्र अंतर्गत धारा 133 मोटरयान अधिनियम के संबंध में स्पष्टतः यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा किस दिनांक व समय पर अपना वाहन अभियुक्त को चलाने हेतु दिया था। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट नही होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन को

Saroli
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

चलाया जा रहा था। अतः उपरोक्त साक्ष्य से ना तो अभियुक्त की पहचान स्थापित हुई, ना ही यह प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त द्वारा तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से अपने वाहन को चलाकर आहत विकास (असा–3) को उपहति कारित की।

22. अतः उपरोक्त समस्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे या उसके लगभग गौतमपुरा में जो कि थाना गौतमपुरा से 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रक कमांक एम.पी.09 जी.एच.5488 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत विकास को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की।

<u>:: विचारणीय बिंदु क.03 व अंतिम आदेश ::</u>

23. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के उपरांत अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 03.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे या उसके लगभग गौतमपुरा में जो कि थाना गौतमपुरा से 01 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अपने आधिपत्य का वाहन आयशर ट्रक कमांक एम.पी.09 जी.एच.5488 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत विकास को टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की। अतः **धारा 279 एवं 338 भा.द.स.** के अपराध के आरोप से अभियुक्त **प्रवीण उर्फ पप्पू** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

24. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत समस्त प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आयसर क. एम.पी.09 जीएच 5488 को मय दस्तावेजों के उसके वाहन स्वामी/सुपुर्ददार कय्यूम खान पिता निया साहिब जान, निवासी–चिकलाना, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, म.प्र. को अंतरिम सुपुर्दगी में दिया गया है। उक्त वाहन व दस्तावेज का अन्य कोई दावेदार नहीं होने से उक्त अंतरिम अभिरक्षा के आदेश को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 452 के अंतर्गत अंतिम मानते हुए सुपूर्ददार को अंतिम अभिरक्षा में दिया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त संपत्ति

Sandiv
30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

का व्ययन किया जावे।

26. अभियुक्त एक भी दिन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त निरोध अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अधीन प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

Sandiv 30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र

मेरे निर्देशन पर टंकित।

Sandiv 30.08.25
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर
(दिव्या श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र